(128)

235

कैम्प
न्यायालय श्रीमान ~~राजस्व मंडल~~ महोदय रीवा संभाग, रीवा (म0प्र0)

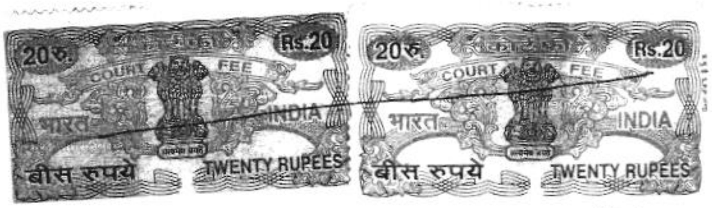

Rs 40/-

रघुपति साकेत तनय मनरुप साकेत उम्र 77 निवासी अहिरगांव पोस्ट हटवा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0प्र0)

R 5403-II/16

....................................निगराकार / आवेदक

बनाम

1. बैजनाथ पिता बुध्दसेन दर्जी उम्र 65 वर्ष
2. रामलखन पिता बैजनाथ दर्जी उम्र 34 वर्ष

दोनो निवासी अहिरगांव तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0प्र0)

अधि० श्री बृजेन्द्र शुक्ला द्वारा प्रस्तुत 15.9.16

..................................**गैरनिगराकारगण / अनावेदकगण**

निगरानी / पुनरीक्षण विरुध्द निर्णय एवं आदेश नायब तहसील रायपुर कर्चुलियान प्रकरण कमांक 20 अ 12 / 09–10 आदेश दिनांक 11.12.10

पुनरीक्षण अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त पुनरीक्षण के आधार निम्न है:–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार का सीमाकंन आदेश पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित होने के कारण प्रथम दृष्टया ही, अधिकारिता विहीन आदेश है, अधिकारिता विहीन आदेश अपने आप मे ही प्रभाव शून्य है, जो स्वमेव निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने यह समझने मे कानूनी भूल की है कि "जब संहिता की धारा 129 अनुसार सीमांकन किये जाने की अधिकारिता तहसीलदार एवं म0प्र0 राजपत्र अधिसूचना 2011 अनुसार अब राजस्व निरीक्षक को प्रदत्त है, किन्तु आलोच्य आदेश अनुसार सीमांकन पटवारी ने किया है, एवं स्वयं पटवारी ने प्रतिवेदन भी दिया है, उसी पटवारी प्रतिवेदन को अधीनस्थ

रघुपति प्रसाद साकेत

(128)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5403– II / 2016 जिला–रीवा

रघुपति साकेत / बैजनाथ दर्जी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री हिमांशु शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण क्रमांक 20 / अ–12 / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	